राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 876/2017/जयपुर.
2. अपील संख्या – 877/2017/जयपुर.
3. अपील संख्या – 878/2017/जयपुर.
4. अपील संख्या – 879/2017/जयपुर.
5. अपील संख्या – 880/2017/जयपुर.
6. अपील संख्या – 881/2017/जयपुर.

मैसर्स रॉयल ऑर्किड प्रा0 लिमिटेड, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर.
2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग–प्रथम, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये छः अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत अपील संख्या अ.प्रा.–II/स्थगन/अ.सं. 55/17–18 से अ.प्रा.–II/स्थगन/अ.सं.60/17–18 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 29.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेशों दिनांक 27.03.2017 से सृजित मांग राशि के स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक स्थगन स्वीकार किये गये, जबकि आरोपित अन्तर कर व ब्याज के सम्बन्ध में स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रकरणों में वसूली योग्य शेष राशि की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी हैं। इन सभी प्रकरणों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विवादित कर निर्धारण आदेशों में अपीलार्थी व्यवहारी जो कि एक होटल एवं रेस्टोरेंट का संचालन करते हैं, उनके द्वारा रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों की बिक्री पर 5 प्रतिशत से कर वसूल कर जमा करवाया गया था एवं वर्ष 2010—11 से 2014—15 तक के कर निर्धारण आदेशों में नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5 प्रतिशत से कर देयता होना विधिसम्मत माना गया था परन्तु विवादित कर निर्धारण आदेशों में प्रतिकरापवंचन वृत के अधिकारी द्वारा अपीलार्थी होटल को 3 से 5 स्टार होटल की कैटेगरी में मानने से राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(22) एफडी/टैक्स/10—87 दिनांक 09.03.2010 के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी को 5 प्रतिशत की कर दर के लिये पात्र न मानकर उसकी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर 14 प्रतिशत की कर दर से दायित्व निर्धारित कर अन्तर कर एवं ब्याज तथा वर्ष 2015—16 एवं 2016—17 में पूर्ण कर दर से कर ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया था, जिसकी वसूली की कार्यवाही पर स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना—पत्र अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

कर निर्धारण वर्ष	आरोपित			कर बोर्ड से चाहा गया स्थगन
	अन्तर कर	ब्याज	शास्ति	
1	2	3	4	5
2011—12	13,89,177	9,49,520	27,78,354	21,59,779
2012—13	16,06,320	9,04,654	32,12,640	23,50,351
2013—14	17,23,324	7,63,750	34,46,648	23,14,742
2014—15	18,01,587	5,40,771	36,03,174	21,62,199
2015—16	21,28,665	3,93,258	42,57,330	23,09,056
2016—17	11,31,390	64,289	22,62,480	10,83,541

अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये द्वितीय अपीलें मय स्थगन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में वसूली योग्य राशि की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी के होटल को 3 या 5 सितारा की श्रेणी का दर्जा भारत सरकार की ट्यूरिज्म कार्यालय द्वारा प्रदान नहीं किया गया है तथा बिना स्टार कैटेगिरी का होटल होने की स्थिति में उक्त अधिसूचना दिनांक 09.03.2010 के तहत 5 प्रतिशत से ही कर का दायित्व है एवं इसी कारण नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये कर निर्धारण आदेशों में 5 प्रतिशत से कर दर को स्वीकार किया गया था। इस तरह विधिविरूद्ध पारित आदेशों को अपास्त करने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी थी एवं

लगातार.....3

स्थगन हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किये गये थे परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों को देखे बिना एवं बिना कोई विचार किये केवल होटल को आबकारी विभाग से प्राप्त लाईसेंस में 3 से 5 सितारा कैटेगिरी का मानते हुए लाईसेंस फीस दिये जाने के आधार पर 3 से 5 सितारा कैटेगिरी में मानकर करारोपण किया गया है वह तथ्यों के विरूद्ध है।

विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उनके द्वारा प्रारम्भ में वर्ष 2006 में होटल प्रोजेक्ट शुरू होने से पूर्व सितारा कैटेगिरी दिये जाने हेतु भारत सरकार के पर्यटन विभाग में आवेदन किये जाने पर दिनांक 26.10.2006 (पत्र प्रस्तुत) में उन्हें प्रोजेक्ट सेट—अप करने की स्वीकृति देने का अनुमोदन किया था जो कई तरह की शर्तों के साथ दिया गया अनुमोदन था इस पत्र में शर्त संख्या 6 पर यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि उक्त प्रोजेक्ट अप्रूवल का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उन्हें किसी विशिष्ठ कैटेगिरी में श्रेणीबद्ध किया ही जायेगा बल्कि शर्तों की पालना एवं अन्य संतुष्टि पर भविष्य में श्रेणी दिये जाने का उल्लेख किया गया था।

उन्होंने बताया कि स्टार श्रेणी के आवेदन के सम्बन्ध में पुनः दिनांक 04.07.2008 को पर्यटन विभाग द्वारा पत्र दिया गया कि उनके दस्तावेज पूर्ण नही होने से उनका आवेदन लौटाया जाता है। यह भी बताया कि होटल को सितारा कैटेगिरी प्राप्त नहीं होने से एवं पर्यटन विभाग द्वारा प्रमाण—पत्र जारी नहीं होने से उनके द्वारा जो आबकारी विभाग में बार लाईसेंस के लिये अधिक फीस दी गयी थी उसे भी लौटाने के लिये आवेदन को निरस्त करने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है जो विवादित आदेश में बताये गये सर्वेक्षण की दिनांक 23.12.2016 से बहुत पूर्व दिनांक 20.03.2015 को यानि एक वर्ष पूर्व ही होटल द्वारा उन्हें सितारा कैटेगिरी नहीं होने सम्बन्धी आधारों पर माननीय उच्च न्यायालय में बार की फीस लौटाने का आवेदन किया था। इस तरह यह प्रमाणित करने के बावजूद भी कि अपीलार्थी को स्टार कैटेगिरी देने के लिये सक्षम भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा कोई सितारा कैटेगिरी प्राप्त नहीं हुई है ऐसी स्थिति में उक्त अधिसूचना के तहत उन्हें कम कर दर से कर जमा कराने की पात्रता प्राप्त है एवं इसी अनुसार नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्हें 5 प्रतिशत की कर दर का दायित्वाधीन माना गया था।

इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2016—17 के लिये बार के नवीनीकरण में जारी अनुज्ञापत्र में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण तक सितारा कैटेगिरी की फीस नहीं ली गई है।

लगातार.....4

विद्वान अभिभाषक ने इन्टरनेट से प्राप्त की गई दिनांक 17.10.2012 तक की सितारा कैटेगिरी की होटलों का विवरण पेश किया जिसमें उनकी होटल का नाम नहीं होना बताया एवं कथन किया कि प्रतिकरापवंचन वृत के अधिकारियों के पास जब सितारा कैटेगिरी सम्बन्धी कोई प्रमाण नहीं था एवं न ही उनके द्वारा पर्यटन विभाग से ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त किया गया जिसमें अपीलार्थी होटल को 3 से 5 सितारा तक का दर्जा दिये जाने का आदेश किया गया है। इस तरह बिना किसी आधार के अपीलार्थी होटल को 3 से 5 सितारा कैटेगिरी में मानकर एवं अविधिक रूप से पूर्व में पारित आदेशों को रि—ओपन करके जो करारोपण किया गया है वह विधिविरूद्ध है। अतः अपीलीय आदेश तक मांग की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। उक्त प्रकरणों में अपीलार्थी द्वारा विक्रय किये गये भोजन पर कर दर लागू होने से सम्बन्धित यह विवाद है कि 3 स्टार एवं ऊपर की कैटगिरी प्राप्त होटल में पके हुए भोजन पर 14/14.5 प्रतिशत की कर दर लागू योग्य है जबकि नीचे की कैटेगिरी के लिये 5 प्रतिशत की कर दर लागू योग्य है। अपीलार्थी की ओर से उनकी होटल को पर्यटन विभाग (भारत सरकार) के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टार कैटेगिरी प्रदान नहीं किया जाना बताया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 3 स्टार से ऊपर की कैटेगिरी में मानते हुए करारोपण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा चूंकि इसी बिन्दु पर आबकारी विभाग के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में निर्णय हेतु याचिका दायर की हुई है, जिसे लम्बित बताया है एवं जो इस मामले में किये गये सर्वेक्षण के पूर्व वर्ष 2015 से लम्बित है। ऐसी स्थिति में करारोपण का मूल आधार प्रथम दृष्टया विवादित होने से आवेदित राशि की वसूली तीन माह के लिये इस शर्त पर स्थगित की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश से 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

8/6/2017
(के. एल. जैन)
सदस्य